पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 01 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में कुल 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 09.07.2024

दिनांक 08/09.07.2024 को थाना मलिहाबाद 01, अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में थाना माल 01, गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 01 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में कुल 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

भादवि/ बी0एन0एस0

थाना गोसाईगंज- दिनांक 09.07.02024 को थाना गोसाईगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री दिवाकर पुत्र घसीटे निवासी ग्राम विनायकपुर पोस्ट सेंहगों थाना बछरावां जिला रायबरेली ने थाना गोसाईगंज पर सूचना दिया कि वादी ने अपनी पुत्री कुमारी सुनैना उर्फ राधनी का विवाह हिन्दू रिति रिवाज के साथ अभिषेक पुत्र रामफली निवासी ग्राम रज्जाकपुर मजरा शिवलर, कोतवाली गोसाईगंज लखनऊ के साथ दिनांक 24.01.2024 को किया था। वादी ने पुत्री के विवाह में अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था। वादी की पुत्री के ससुराल वाले आये दिन वादी की पुत्री सुनैना उर्फ राधनी से दहेज की मांग करते थे और कहते थे कि अपने घर से अपाचे दो पहिया गाड़ी व सोनें की चेन लेकर आओ नहीं तुम्हे इस घर में रहनें नहीं देगें। आये दिन परिवार वालें अभिषेक पुत्र रामफली, रामफली पुत्र अज्ञात, व पुत्री की माता नाम अज्ञात, व एक बाबा नाम अज्ञात मिलकर वादी की पुत्री को मारते-पीटते थे और मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताणित करते थे। वादी की पुत्री ने कई बार वादी से कहा तो वादी ने कई बार पुत्री के ससुराल वालों को मना किया परन्तु उपरोक्त विपक्षीगण वादी से दहेज की मांग पर अड़े रहे। दिनांक 05.07.2024 को करीब 8.00 बजे वादी की पुत्री ने वादी के पास फोन किया और कहने लगी कि ससुराल वालें उपरोक्त लोग गाड़ी व चेन की मांग कर रहें है नहीं देने पर ये मुझे फांसी लगाकर जान से मारने की धमकी दे रहें हैं। जिस पर वादी ने कुछ समय के अन्दर देनें की बात कही। दिनांक 06.07.2024 को वादी की पुत्री के फोन से करीब 10:30 बजे रात्रि को फोन आया और वादी की पुत्री के दमाद अभिषेक के द्वारा बताया गया कि सुनैना सीढियों से गिर गयी है, दूसरी बार बताया गया कि डायरिया हो गया था, जिससे सुनैना का देहांत हो गया है। वादी सूचना पाकर सामुदायिक स्थास्थ्य केन्द्र गोसाईगंज लखनऊ आया तो देखा कि वादी की पुत्री के शरीर पर मारने-पीटने के निशान है और गले में भी निशान बनें हुये है। **इस सूचना पर मु0अ0सं0- 260/2024 धारा- 80/85 बी0एन0एस0 व ¾ डी0पी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना अलीगंज- दिनांक 09.07.2024 को थाना अलीगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री हनुमन्त प्रताप सिह पुत्र स्व0 श्री राज मगल सिंह निवासी इन्दिरा नगर तेतरी बाजार सिद्दार्थनगर थाना गाना सिद्धार्थनगर ने थाना अलीगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 08-07-2024 को समय लगभग 12:30 बजे पुरनिया चौक से ई-रिक्शा पर बैठ कर आ रहा था। तभी वादी के बगल में एक व्यक्ति बैग लेकर बैठा था। उसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रास्ते में वादी की जेब काटकर 20,000/- रुपये (बीस हजार रुपये) निकाल लिया। जब वादी कपूरथला पर पहुँचा तो उक्त अज्ञात व्यक्ति ई-रिक्था से उतर गया, वादी ने जब अपनी जेब देखा तो पैसे नहीं थे और वादी की पैन्ट पर कट का निशान था। वह अज्ञात व्यक्ति एक अपाचे पर बैठकर वापस दिशा में चला गया वादी को पूर्ण विश्वास है कि उसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की जेब से पैसा निकाला गया है। **इस सूचना पर थाना अलीगंज पर मु0अ0सं0- 170/2024 धारा- 303 बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना गोसाईगंज-</u> दिनांक 09.07.2024 को थाना गोसाईगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री पवन कुमार मिश्रा पुत्र जितेन्द कुमार मिश्रा निवासी-ग्राम बुढ़नापुर, पोस्ट त्रिवेदीगंज, थाना लोनीकटरा, जनपद बाराबंकी ने थाना गोसाईगंज पर सूचना दिया कि वादी दिनांक 04.07.2024 को सुबह लगभग 9:00 बजे अपने दवा उपचार हेतु अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से अपने घर से लखनऊ जा रहा था कि रास्ते मे गोसाईगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व गोसाईगंज कोतवाली के बीच में वादी अपनी बायी ओर सड़क के किनारे धीरे-धीरे जा रहा था। तभी उसी समय लगभग 9:30 बजे से 10:00 बजे दिन के बीच सड़क पर पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन के वाहन चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुये अनियंत्रित गति से वादी की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। जिससे वादी की पत्नी ज्योति मिश्रा उसी अज्ञात वाहन के नीचे दब गई और वही अज्ञात वाहन से रौंदता हुआ चला गया। जिससे वादी की पत्नी ज्योति मिश्री की मौके पर ही मौत हो गयी और वादी भी मोटरसाइकिल लेकर गिर गया था। **इस सूचना पर थाना गोसाईगंज पर मु0अ0सं0- 259/2024 धारा- 281/106 बी0 एन0 एस0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**